मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग

अनुभाग का कार्य

(i) रेलवे और आयकर विभाग को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली/नई दिल्ली में जिला न्यायालयों/उपभोक्ता मंचों/ट्रिब्यूनलों में मुकदमेबाजी का काम मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उक्त न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी का कार्य एक सहायक कानूनी सलाहकार और प्रभारी द्वारा किया जाता है। इसमें एक अधीक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) अपर स्थायी सरकारी काउंसलों का एक पैनल है, जिसमें काउंसल केस लड़ने के लिए नामित किए जाते हैं। मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर, न्यायालयों में उनकी ओर से पेश होने के लिए एक उपयुक्त काउंसल को नियुक्त करने की कार्रवाई की जाती है। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता मंचों/अधिकरणों में सरकार (भारत संघ) के हितों की रक्षा के लिए हर समय विभिन्न विभागों/काउंसेलों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा जाता है।

(iii) काउंसल से प्राप्त शुल्क बिल को प्रमाणित करने एवं निर्धारित दरों पर भुगतान करने से पहले उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है।

(iv) सहायक कानूनी सलाहकार, जो इस अनुभाग के शाखा अधिकारी भी हैं, को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अधीक्षक (कानूनी) जो मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग का पर्यवेक्षण करते हैं, उन्हें भी केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।